कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

[illegible] 2022

1. [illegible] पिता [illegible] जाति भी[illegible] उम्र वयस्क निवासी [illegible] दिनांक [illegible] 2022
भीलवाड़ा राज0।
2. प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति मीना उम्र वयस्क निवासी [illegible]
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता केशरदास जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी सलार्वटिया [illegible]
जिला भीलवाड़ा राज0।
2. ममता देवी पत्नि शान्तिलाल जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी सलार्वटिया [illegible]
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
3. शान्तिलाल पिता उदयलाल जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी सलार्वटिया [illegible]
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
4. रूपलाल पिता देबीलाल जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खुर्द तहसील
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : **आदेश** : – दिनांक 9/5/ 2022

प्रार्थना पत्र हमं प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति मीना उम्र वयस्क निवासी छोटा थड़ादा गेन्दीलाल पिता दुधा जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0 जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम खड़ीपुर पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 35 **पर अंकित आराजी** नम्बर 623/[illegible] **कुल किता 01 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि जो** स्थित है। विपक्षगण आये दिन सी[illegible] विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान करा[illegible] जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रार्थी व[illegible] आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत श[illegible] संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता [illegible] अभिनिरक्षिक बिजौलिया खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100[illegible] पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्[illegible] मौजा ग्राम खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में [illegible] **अंकित आराजी नम्बर** 623/1 **कुल किता** 01 रकबा 0.3237 [illegible] संख्या 35 पर **अंकित आराजी नम्बर** 623/1 **कुल किता** 01 रकबा 0.3237 [illegible] जो [illegible] पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है [illegible] [illegible] 100 रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार [illegible]

[illegible] होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड
बि[illegible]